16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1707–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–08–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 328/ निग0/2009–10

1– मुस0 सखिया यादव बेवा स्व0 ददुआ यादव
2– मोतीलाल यादव पिता स्व0 श्री ददुआ यादव
3– राजबली यादव पिता स्व0 श्री ददुआ यादव
4– कैलाश यादव पिता स्व0 श्री ददुआ यादव
सभी निवासी–ग्राम अमिरती, तहसील मझगांव,
जिला–सतना (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मुस0 सुरतिया पत्नी स्व0 श्री राममिलन यादव
2– छेदीलाल यादव तनय स्व0 श्री राममिलन यादव
दोनों निवासी– ग्राम अमिरती, तहसील मझगांव,
जिला–सतना (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री महेन्द्र अग्निहोत्री, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी0एल0 यादव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/7 जुलाई 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–08–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम अमिरती स्थित अपने स्वामित्व की भूमि आ0नं0 14/1 ख रकबा 2.00ए0 के सीमांकन का आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक/पटवारी को सीमांकन करने हेतु आदेशित किया। सीमांकन के पश्चात् राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन के पुष्टिकरण का आदेश तहसीलदार ने दिनांक 12.08.2009 को किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 11.01. 2010 के द्वारा निगरानी निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा को प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 18–8–2011 के द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर, निगरानी स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध में इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क किया कि तहसीलदार मझगवां ने दिनांक 12–8–09 को विधिवत राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर सीमांकन को प्रमाणित किया था। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी पेश की थी जो अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 11–1–2010 के द्वारा निरस्त की गई थी। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने तहसीलदार के सीमांकन आदेश को विधिसंगत न मानते हुये निरस्त करने में त्रुटि की है क्योंकि तहसीलदार द्वारा सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिया गया था। तर्क में यह भी कहा कि सूचना पत्र दिनांक 8–8–09 को अनावेदकगण को सूचना पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर भी हैं। सूचना होने के बावजूद भी अनावेदकगण मौके से चले गये। सीमांकन में मौके पर अनावेदकगण का अनाधिकार कब्जा पाया गया था। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार ने विधिवत प्रकिया अपनाकर सीमांकन

आदेश की पुष्टि की है जिसे अपर कलेक्टर द्वारा भी उचित माना है। अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया कि विचाराधीन भूमि के सीमांकन बावत आवेदक द्वारा सेनानी 22 वी वाहनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नई दिल्ली के माध्यम से किये गये आवेदन पत्र पर प्रकरण कायम कर सीमांकन किया। सीमांकन के समय आवेदक भी मौके पर उपस्थित नहीं था। दिनांक 06–8–2009 को प्रकरण दर्ज कर परवाना जारी करने का आदेश हुआ, आगे पेशी नियत नहीं की गई तथा दिनांक 12–8–2014 को सीमांकन की पुष्टि कर दी गई। यह भी तर्क किया कि सीमांकन में चतुर्दिशा सीमांकन भी नहीं हआ समीपस्थ भूखण्डों की नाप बन्दोबस्ती नक्शे से तथा बन्दोबस्ती सीमाचिन्हों से भी नहीं की गई तथा समीपस्थ भूमिस्वामी सूचित भी नहीं किये गये। इसी कारण अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 18–8–11 से तहसीलदार का सीमांकन आदेश निरस्त कर सीमावर्ती कृषकों को सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर देकर विधिवत सीमांकन किये जाने के आदेश दिये हैं। तर्क में यह भी कहा गया अनावेदक द्वारा तहसीलदार मझगवां के नहीं होने पर दिनांक 11–8–09 को अनुविभागीय अधिकारी मझगवां के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई। यह भी कहा कि अनावेदकगण अपने पूर्वजों से प्राप्त पैत्रिक सम्पत्ति में 40–50 वर्षों से बने सीमा मे कब्जा दखल प्राप्त किये है जिसे आवेदक दुर्भावना एवं षडयंत्र पूर्वक उनकी पैत्रिक संपत्ति में बेजा कब्जा बताकर प्रताडित कर रहा है। अपर आयुक्त का आदेश उचित है अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभयपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेखो के अवलोकन से

स्पष्ट है कि सूचना पत्र में सरहदी काश्तकारों को सूचना थी। सीमांकन पंचनामा अनुसार सीमांकन कार्य बन्दोबस्ती मेड की आराजी को चैक करते हुये किया गया जिसमें अंश भाग पर छेदीलाल पिता राममिलन यादव प्रतिप्रार्थी कमांक 2 का कब्जा पाया गया। सीमांकन के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी को अपत्ति तहसीलदार को करनी चाहिए थी, परन्तु प्रतिप्रार्थी ने तहसीलदार को आपत्ति न कर अनुविभागीय अधिकारी को की। इससे यह भी प्रकट होता है कि सीमांकन की सूचना अनावेदक को थी फिर भी वह सूचना उपरान्त भी सीमांकन के समय अनुपस्थित रहा। सूचना पत्र में स्वयं प्रतिप्रार्थी कमांक 2 छेदीलाल पितारामिलन यादव के हस्ताक्षर हैं। उक्त स्थिति में अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि सीमांकन की सूचना किसी सरहदी काश्तकार को नहीं थी। नक्शा त्रुटिपूर्ण है ऐसा भी सिद्ध नहीं हो सका।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 18–8–2011 निरस्त किया जाता है। अपर कलेक्टर सतना का आदेश दिनांक 11–01–2010 एवं तहसीलदार मझगवां का आदेश दिनांक 12–8–2009 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर